

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II_खण्ड 3_उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित .

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2014/अग्रहायण 5, 1936

No. 623]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2014/AGRAHAYANA 5, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2014

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्र सरकार, दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 के 17) की धारा—10 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय के दिनांक 08 सितंबर, 2000 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 711(अ) को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है, का अधिकमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तीस दिनों की अविध के समाप्त होने पर, भारत के संपूर्ण पत्तनों में अनुसूची के कॉलम 2 में वर्णित सभी पोतों और जलयानों के संबंध में अनुसूची के कॉलम 3 में दर्शाई गई दर पर प्रकाश शुल्क देय होगा।

अनुसूची

कम संख्या	पोतों/जलयानों का विवरण	पंजीकृत एन टी/टीइयू* के आधार पर प्रकाश शुल्क की दर
1.	2.	3.
(1)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित-विदेश जाने वाले कंटेनर	रु 8/- प्रति टन
(2)	पोत के अलावा अन्य पोत वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित—विदेश आवागमन करने वाले कंटेनर पोत	रु 92/— प्रति टी इ यू
(3)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित — तटीय पोत / घरेलू—व्यापार पोत अथवा वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नौवहन महानिदेशालय द्वारा तटीय आवागमन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त पोत	शून्य
(4)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिमाषित-जलयात्रा पोत	शून्य

^{*} टी इ यू (20 फुट की समानार्थक इकाई)

[फा. सं. जी-25011/1/2012-एस एल] एन. मुरूगानंदम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2014

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport G.S.R. No. 711(E) dated the 8th September, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that, with effect from the day following the expiration of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Light-dues shall be payable at all ports in India in respect of all Ships and Vessels described in Column (2) of the Schedule below at the rates prescribed in the corresponding entry in Column (3) of the Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Description of Ship/Vessel	Rate of Light dues on registered NT/TEU*
1	2	3
(1)	Foreign going ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 – Ships other than Container Ships	Rs. 8/- per ton
(2)	Foreign going ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 – Container Ships	Rs. 92/- per TEU
(3)	Coastal ships/home-trade ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 or ships granted license for coastal runs by Directorate General of Shipping under the Merchant Shipping Act, 1958.	NIL
(4)	Sailing vessels as defined in the Merchant Shipping Act, 1958	NIL

^{*} TEU (20 feet equivalent unit)

15

[F. No. G-25011/1/2012-SL]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नर्ड दिल्ली, 26 नवंबर, 2014

सा.का.नि. 842(अ).—केन्द्र सरकार की केन्द्रीय संलाहकार समिति के परामर्श से दीपस्तंभ अधिनियम 1927 (1927 के 17) की धारा 4 की उप—धारा (1) के अनुछेद (ङ) की धारा 21 की उप—धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियों की नियमावली, 1993, में निम्नलिखित संशोधन किए जाते है अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंम.—(**1) इन नियमों का नाम दीपस्तम लेखा और वित्तीय शक्ति (संशोधन) नियमावली, 2014

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियों की नियमावली, 1993 (इसके पश्चात उक्त नियम के नाम संदर्भित) के

नियम 8 के उप नियम (3) को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :--

(3) सीमाशुल्क के अधिकारी सर्वप्रथम शीर्ष '8658.—"उचंत खाता—वेतन और लेखा अधिकारी—उचंत वेतन और लेखा अधिकारी, दीपस्तंम और दीपपोत, दीप भवन, ए—13, सैक्टर—24, नोएडा (उत्तर प्रदेश) 201301 के अंतर्गत समायोज्य मदें के लेखा शीर्ष के अधीन भारत के लोक लेखा में प्रकाश शुक्क के रूप में संग्रहित किया जाएगा । सीमा शुक्क और केन्द्रीय उत्पाद शुक्क के विभिन्न वेतन और लेखा अधिकारी के लेखा शीर्षों और साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुक्क और सीमा शुक्क बोर्ड के समेकित लेखा में प्रकट होगा। मासिक लेखा के समापन के 15 दिनों की अवधि के अंदर विभिन्न सीमा शुक्क प्राधिकरणों से प्राप्त आइ एल एव प्रपत्र संख्या 11 की प्रतियों सहित सीमा शुक्क और उत्पाद शुक्क विभाग के विभिन्न वेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय उक्त शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित राशि का लेखा तैयार कर और किसी राष्ट्रीय बैंक के चैक के माध्यम से नौएडा — 201301 अथवा नई दिल्ली को देय प्रकाश शुक्क की राशि वेतन और लेखा अधिकारी, सीमा शुक्क और केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी, दीपस्तंम और दीपपोत, दीप भवन, ए—13, सैक्टर—24, नौएडा को प्रेषित प्रकाश शुक्क की राशि उक्त लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी। आइ एल एच 11 के रूप में लौटाई गई समस्त संग्रहित राशि का विवरण सीमा शुक्क के अधिकारियों द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। विवरण की एक प्रति आइ एल एच प्रपत्र संख्या 9 के रसीदों के अध्यन्ने के साथ दीपस्तंम और दीपपोत महानिदेशालय को लौटाई राशि के वाज्यरों की दो प्रति/प्रतियाँ, यदि कोई हों, अग्रेषित की जाएगी। आइ एल एच प्रपत्र संख्या 11 विवरण की दो प्रतियाँ द्वारा वर्ष के दौरान संग्रहित कुल प्रकाश शुक्क का लेखा, संपूर्ण विवरण के साथ तैयार किया जाएगी। सीमा शुक्क के अधिकारियों द्वारा वर्ष के दौरान संग्रहित कुल प्रकाश शुक्क का लेखा, संपूर्ण विवरण के साथ तैयार किया जाएगी। और इस सार के विवरण की एक प्रति वार्षिक रूप से दीपस्तम और दीपपोत महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।"

3. उक्त नियम के नियम 31 को निम्मलेखित प्रपत्र के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात्:-

विवरण	वास्तविक टनभार / टी इ यू
विदेश जाने वाले पोत का टनभार / टी इ यू	=
कुल संग्रहित शुल्क	
कुल व्यय	

4. उक्त नियमों में, 'अनुसूची—II' के लिए निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

'अनुसूची-11'

[कृपया नियम 3 खण्ड (च) उप उप—खण्ड (1) और (2) देखें}

कम संख्या	पोतों / जलयानों का विवरण	पंजीकृत एन टी / टी इ यू के आधार पर प्रकाश शुल्क की दर
1.	2.	3.
(1)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित—विदेश जाने वाले कंटेनर पोत के अलावा अन्य पोत	रु. 8/- प्रति टन
(z)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित—विदेश आवागमन करने वाले कंटेनर पोत	रु. 92∕- प्रति टी इ यू
(3)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिमाषित—तटीय पोत / घरेलू—व्यापार पोत अथवा वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नौवहन महानिदेशालय द्वारा तटीय आवागमन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त पोत	शून्य
(4)	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित—जलयात्रा पोत	शून्य

टिप्पणी:-केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार पंजीकृत टनभार की दर में परिवर्तन हो सकता है।

5 उक्त नियम में आई एल एच के प्रपन्न संख्या 11 में निम्नलिखित आई एल एच प्रपन्न संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

आई एल एच प्रपत्र सख्या 🔢

(कृपया, दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्ति नियम, 1993 के नियम 8, उप नियम (2) देखें)

माह	20	 के	दौरान	भारतीय	(तट)	दीपस्तंभ	की	ओर	से	उक्त	पतन	का	प्रकांश	शुल्क	के	रूप में	संग्रहित	संपूर्ण
राशि	का लेखा:-								;									

बही संख्या	रसीद संख्या	सीमा शुल्क वाउचर संख्या	दिनांक	पोत का नाम	मास्टर अथवा एजेंट का नाम
1	2	3,3	4	5	6
1.					
2.					
3.					Arran Hala Cara
4.			9-6-7		
5.					

राज्य से	समुद्री	यात्रा	आगमन की	प्रस्थान की	शस्क भगतान	दर प्रति टन/ टी
संबंधित	से	तक	तारीख	तारीख	शुस्क भुगतान की देय तारीख	इ यू
7	8	9	10	11	12	13
1.		1				
2.						
3.						
4.						
5.						

विदेश जाने व	ाले पोत	दीपस्तंभ और दीपपोत	बैंक का नाम और बैंक	्र अभ्युक्ति ।
टनभार/	राशि	महानिदंशक को प्रेषित राशि	ड्राफ्ट की संख्या और	
टी इ यू	1,0		तारीख	
14	15	16	17	18
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

टिप्पणी: -यह लेखा प्रकाश शुल्क संग्रहक द्वारा प्रत्येक माह. के अंत में तैयार किया जाना है और जारी रसीदों (आइ एल एच प्रपत्र संख्या 9) के अधपन्नों सिहत दीपस्तम और दीपपोत महानिदेशक को अग्रेषित किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की राशि पुन:अदायगी की जाती है तो उसे 'अभ्युक्ति' कॉलम के अंतर्गत लेखे के अंत में पृथक रूप से दर्ज किया जाए और लौटाई गई कुल राशि को सकल राजस्व से घटाया जाएगा। आइ एल एच प्रपत्र संख्या 10 पर उपयुक्त वाउचर के अग्रेषण के बिना किसी प्रकार की राशि लौटाई नहीं जाएगी। जब कभी इन प्रपत्रों की आपूर्ति की आवश्यकता हो, 'दीपस्तम और दीपपोत महानिदेशालय' को आवेदन पत्र लिखा जाए।

[फा. सं.-जी-25011/1/2012-एस एल] एन. मुक्तगानंदम, संगुक्त सचिव

टिप्पणी:--मूलनियम दिनांक 25 अप्रैल 1995 के सा.का.नि. सं. 239 द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1995 को भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (1) में प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2014

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with clause (e) of sub-section (I) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport G.S.R. No. 712(E) dated 8th September, 2000 and after consultation with the Central Advisory Committee, the Central Government hereby make the following Rules to amend the Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Lighthouse Accounting and Financial Power (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said Rules) in rule 8, for sub-rule (3), the following shall be substituted namely:—

"(3) The Officers of Customs shall first account for the entire collection on account of lightdues in the public account of India under the head - 8658-Suspense Account - Pay and Accounts Officer -Suspense - Items adjustable by Pay and Accounts Officer, Lighthouses & Lightships, Deep Bhawan, A-13, Sector-24, Noida (UP) 201301". The above shall appear under the head of accounts of different Pay & Accounts Officers of Customs and Central Excise as well as the consolidated accounts of the Central Board of Excise and Customs, New Delhi. Within 15 days of closing of the monthly accounts, the Pay And Accounts Officer of Customs and Excise Department shall reconcile the collections booked under the above head with the copies of I.L.H. Form No.11 received by him from the Customs authorities and shall remit the collections through cheque payable at Noida-201301(UP) or New Delhi through any of the Nationalized Banks to the Pay & Accounts Officers, together with the certified copy of I.L.H. Form No. 11. The remittances made by the Pay & Accounts Officers, Customs and Central Excise to the Pay & Accounts Officers, Lighthouses & Lightships, Deep Bhawan, A-13, Sector-24, Noida (UP) 201301, shall be debited to the above said head. The officer of Customs shall prepare three copies of statement of all collections of refunds in form I.L.H. 11. One copy of the statement together with the counterfoil of receipts in form I.L.H.9 and duplicate copy/copies of the refund voucher(s), if any, shall be forwarded to the Director General of Lighthouses & Lightships. Two copies of the statement in Form I.L.H. 11 shall be forwarded by the Officers of Customs to the Pay & Accounts Officers, Customs and Central Excise. The officers of Customs shall also prepare annually an abstract showing light dues levied with full particulars and submit a copy of this abstract annually to the Director General of Lighthouses & Lightships."

3. In Rule 31 of the said Rules, for the form, the following form shall be substituted, namely:—

Particulars	Actual Tonnage/TEU					
(1)	(2)					
Tonnage/TEU of foreign going ships						
Total dues collected						
Total expenditure						

4. In the said Rules, for SCHEDULE-II, the following form shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-II"

[See rule 3 clause (f) sub-clause (1) and (2)]

S.No.	Description of Ships/Vessels	Rate of Light dues per registered NT/TEU
1	2	3
(1)	Foreign going ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 – Ships other than Container Ships	Rs.8/- per ton
(2)	Foreign going ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 – Container Ships	Rs.92 /- per TEU
(3)	Coastal ships/home-trade ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 or ships granted license for coastal runs by Directorate General of Shipping under the Merchant Shipping Act, 1958.	NIL
(4)	Sailing vessels as defined in the Merchant Shipping Act, 1958	NIL

NOTE: The rates for registered tonnage/TEU are subject to variation, as per the decision of the Central Government.

5. In the said Rules, for I.L.H. Form No.11, the following I.L.H. Form No. 11 shall be substituted, namely:—

I.L.H. Form No. 11

[See rule 8, sub-rule (2) of the Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993]

An account of all money collected at the above port for light dues on account of the Indian (Coast) Lighthouses during the month of ____20___

Book No.	Receipt No.	Customs Voucher No.	Date	Name of Ship	Name the Master or Agent
1	2	3	4	5	6
1.		i i			
3. 4.					
5.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

Belonging to the State	On vo	yage	Date of arrival	Date of departure	Date on which dues become payable	Rate per Ton/TEU	
of	From	То					
7	8	9	10	11	12	13	
1. 2.					1		
3. 4.					1		

Foreign going ships		Amount remitted to the Director General of Lighthouses and Lightships		Name of Bank and Draft No. &	Remarks
Tonnage/TEU	Amount	X		Date of draft	
14	.15		16	17	18
1.					i e por to i
2.					
3.					
4.			are respect to the Autom	Miles Carles	

NOTE: This account is to be prepared by the collectors of light-dues at the end of each month and forwarded with the counterfoils of the issued receipts. (ILH Form No. 9) attached to the Director General of Lighthouses and Lightships. If any repayments are made, the amounts should be entered separately at the close of the account under the column of remarks and the aggregate repayments deducted from the gross revenue. No repayment can be allowed unless a proper voucher on ILH Form No.10 is forwarded. When a further supply of these forms is required, application should be made to the "Director General of Lighthouses and Lightships".

[F. No. G-25011/1/2012-SL]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) dated the 25th April 1995, vide G.S.R. No. 239 dated the 25th April 1995.